न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 –23/19
दायरा दिनांक –13.03.2019
निर्णय दिनांक –30.09.2019

बउनवान

1. नरेन्द्र प्रकाश उम्र 61 वर्ष पुत्र शान्ती लाल जाति महाजन निवासी जलवाडा
2. देवेन्द्र कुमार आयु 58 वर्ष पुत्र शान्ती लाल जाति महाजन निवासी जलवाडा
3. सुधीन्द्र कुमार आयु 51 वर्ष पुत्र शान्ती लाल जाति महाजन निवासी जलवाडा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)

वादीगण

–ःबनामः–

1. शान्तीलाल आयु 90 वर्ष पुत्र कन्हैया लाल जाति महाजन निवासी जलवाडा
2. लीलाधर आयु 70 वर्ष पुत्र शान्तीलाल जाति महाजन निवासी जलवाडा हाल मुकाम दीनदयाल पार्क बारां
3. गीताबाई आयु 68 वर्ष पुत्री शान्तीलाल जाति महाजन निवासी जलवाडा हाल पत्नि किशनचन्द्र निवासी छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
4. चन्द्रकान्ता आयु 63 वर्ष शान्तीलाल जाति महाजन निवासी जलवाडा हा0 पत्नि रमेशचन्द्र जाति महाजन निवासी सांगोद जिला कोटा (राज0)
5. शिवरानी आयु 55 वर्ष शान्तीलाल जाति महाजन निवासी जलवाडा हा0 पत्नि राधेश्याम गर्ग जाति महाजन निवासी प्रताप चौक बारां जिला बारां (राज0)
6. चतरीबाई आयु 90 वर्ष पत्नि शान्तीलाल जाति महाजन निवासी जलवाडा
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः–30.09.2019

वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 एवं 188 आर0टी0ए0 जरिये अभिभाषक घनश्याम गर्ग इस आशय का पेश किया –

1. यह कि वाके ग्राम जलवाडा पटवार हल्का जलवाडा तहसील किशनगंज जिला बारां के माल मे निम्नलिखित आराजीयात् खाता सं0 नई 451 पुराना 436 जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 स्थित है। जिसे वाद पत्र मे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

क्र0सं0	ख0न0	रकबा	किस्म	लगान
1.	408	4.03	चाही–2	11.21
2.	409	0.01	गै0मु0चाह	–
3.	410	0.01	गै0मु0चाह	–

4.	411/1	0.19	चाही–2	2.57
5.	494	0.05	गै0मु0चाह	–
6.	495	67.16	बा0सोयम	81.36
7.	508	1.05	बा0–2	0.75
8.	843	0.02	खेडा–2	0.14
9.	862	0.01	खेडा–2	0.07
10.	964	4.14	चा0–2	12.69

कुल किता 10 कुल रकबा 79.07 बीघा कुल लगानी 108.79

2. यह कि मद न0 1 मे वर्णित कुल आराजीयात् 79.07 बीघा प्रतिवादी क्रम 1 शान्तीलाल पुत्र कन्हैयालाल के खाते राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे दर्ज चली आ रही है। जो पुश्तैनी आराजीयात् है।
3. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 शान्तीलाल द्वारा अपनी पुस्तेनी आराजीयात् की आमदनी एवं अन्य व्यायसायिक आमदनी से संयुक्त परिवार के अन्तर्गत सबसे बडे पुत्र लीलाधर प्रतिवादी क्रम 2 के खाते मे आराजी ख0नं0 252/2 रकबा 35 बीघा एवं ख0न0 411/2 रकबा 7.16 बीघा इस प्रकार कुल किता 2 कुल आराजी 42.16 बीघा जरिये रजिस्ट्री खरीद कर प्रतिवादी क्रम 2 के पृथक खाते मे दर्ज करा दी गई।
4. यह कि इसी प्रकार वादी क्रम 1 नरेन्द्र कुमार के खाते आराजी ख0न0 407 रकबा 6.11 बीघा जरिये रजिस्ट्री खरीद कर पृथक से खाते दर्ज करा दी गई।
5. यह कि इसी प्रकार वादी क्रम 2 देवेन्द्र कुमार के खाते मे ख0न0 252/1 रकबा 35 बीघा जरिये रजिस्ट्री खरीदकर खाते मे दर्ज करा दी गई।
6. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 चारो सगे भाई है तथा प्रतिवादी क्रम 1 शान्तीलाल के पुत्र है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपनी कुल आराजीयात् मे से आपसी सहमति से वर्षो पूर्व बंटवारा किया जा चुका है तथा विवादित पुश्तैनी आराजीयात् मे से वादीगण के हक मे निम्न प्रकार बंटवारा किया जाकर कब्जा दिया हुआ है।

   (अ) वादी क्रम 1 नरेन्द्र प्रकाश के हक मे आराजी ख0न0 508 रकबा 1.05 बीघा एवं ख0न0 495 कुल रकबा 67.16 बीघा मे से हिस्सा 1/2 रकबा 33. 18 बीघा (ख0न0 508 से लगा हुआ) कुल आराजी 35.03 बीघा पर काबिज है।

   (ब) देवेन्द्र कुमार वादी क्रम 2 के हक व कब्जे मे आराजी ख0न0 408/403,ख0न0 409/0.01, ख0न0 410/0.01, ,ख0न0 411/1/0.19, ,ख0न0 843/0.02, ,ख0न0 862/0.01, ,ख0न0 964/4.14 बी0 कुल किता 7 कुल रकबा 10.01 बीघा पर काबिज है।

   (स) सुधीन्द्र कुमार वादी क्रम 3 के हक मे ख0न0 494/0.05, ,ख0न0 495/67.16 मे से हिस्सा 1/2 रकबा 33.18 (ख0न0 494 से लगा हुआ है।) कुल किता 2 कुल रकबा 34.03 बीघा पर काबिज है।

7. यह कि वादीगण क्रम 1,2 व 3 प्रतिवादी क्रम 4 अपने–अपने परिवारो के साथ अलग अलग रहकर जीवनयापन करते चले आ रहे है तथा पुराने आपसी सहमति बंटवारे से संतुष्ट है। प्रतिवादी क्रम 3,4 व 5 तीनो बहिने पुस्तैनी कृषि भूमि मे हिस्सा लेना नही चाहती है तथा प्रतिवादी क्रम 1 पिता व प्रतिवादी क्रम 6 माता काफी वृद्ध हो चुके है तथा अक्षर बीमार रहते है। इस कारण पुश्तैनी आराजीयात् को अपने खाते से हटाकर वादीगण के खाते दर्ज कराने हेतु सहमत है।
8. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 के समस्त पुत्र व पुत्रीयों को आवश्यक पक्षकार होने से वाद पत्र मे वादी एवं प्रतिवादी बनाया गया है तथा सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना न्यायोचित होने से पक्षकार बनाया गया है।
9. यह कि वादीगण काश्तकारी कानूनो के अन्तर्गत अपना हक व हिस्सा मुताबिक बंटवारा प्राप्त करने हेतु घोषणा करा सकने के वैधानिक अधिकारी है तथा मुताबिक आपसी सहमति बंटवारा मद नं0 6 के अ,ब,स भाग वर्णित आराजियात् अपने–अपने पृथक खाते मे दर्ज करा सकने के वैधानिक अधिकारी है।
10. यह कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब किशनगंज को सर्वोच्च भू–धारी होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।
11. यह कि राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय बारां को रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी0पी0सी0 दिनांक 5.03.2019 को दिया जा चुका है जो उन्हे प्राप्त हो चुका है। जो उन्हे प्राप्त हो चुका है। लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण वास्ते शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सी0पी0सी0 के साथ वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जो बाद सुनवाई निर्णित किया जाना न्यायहित मे है।
12. यह कि न्यायालय श्रीमान् को श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त है।
13. यह कि वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर बाद तहकीकात स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि वाद मे वर्णित विवादित आराजीयात् मे से वादी क्रम 1 नरेन्द्र प्रकाश को ख0न0 508/8 1.05, ख0न0 495/67.16 मे से हिस्सा 1/2 रकबा 33.18 बीघा(ख0न0 508 से लगा हुआ) कुल आराजी 35.03 बीघा एवं वादी क्रम 2 देवेन्द्र कुमार के हक मे आराजी ख0न0 408/4.03, ख0न0 409/0.01, ख0न0 410/0.01, ख0न0 411/1/0.19, ख0न0 843/0.02, ख0न0 862/0.01, ख0न0 964/4.14 कुल किता 7 कुल रकबा 10.01 बीघा एवं वादी क्रम 3 सुधीन्द्र कुमार के हक मे ख0न0 494/0.05, ख0न0 495/67.16 मे से हिस्सा 1/2 रकबा 33.18 (ख0न0 494 से लगा हुआ) कुल किता 2 कुल रकबा 34.03 बीघा का खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे एवं बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के खाते एवं कब्जे की आराजी पर दखल अन्दाजी न स्वयं

करे न अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान् उचित समझे प्रदान की जावे।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्ट किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये। नियत तिथि को प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 की ओर से अभिभाषक एस0के0 राणा ने वकालत नामा पेश किया। नियत तिथी को प्रतिवादी अधिवक्ता ने इकबालिया जवाब इस आशय का पेश किया

1. यह कि मद नं0 1 वादपत्र स्वीकार है।
2. यह कि मद नं0 2 वादपत्र स्वीकार है।
3. यह कि मद नं0 3 वादपत्र स्वीकार है।
4. यह कि मद नं0 4 वादपत्र स्वीकार है।
5. यह कि मद नं0 5 वादपत्र स्वीकार है।
6. यह कि मद नं0 6 वादपत्र स्वीकार है।
7. यह कि मद नं0 7 वादपत्र स्वीकार है।
8. यह कि मद नं0 8 वादपत्र स्वीकार है।
9. यह कि मद नं0 9 वादपत्र स्वीकार है।
10. यह कि मद नं0 10 वादपत्र कानूनी है।
11. यह कि मद नं0 11 वादपत्र कानूनी है।
12. यह कि मद नं0 12 वादपत्र कानूनी है।
13. यह कि मद नं0 13 वादपत्र कानूनी है।

प्रार्थना वादीगण स्वीकार है।

अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद डिक्री फरमाने की कृपा करे.।

वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य वादी मे pw-1 नरेन्द्र प्रकाश pw-2 सुधीन्द्र कुमार के बयान लेखबद्व करवाये प्रतिवादी अधि0 ने जिरह नही की दौराने साक्ष्य pw-1 नरेन्द्र प्रकाश ने जाहिर किया –

ग्राम जलवाडा मे खाता संख्या नई 451 पुरानी 436 मे कुल किता 10 कुल रकबा 79.07 बीघा स्थित है जो मुताबिक खाता जमाबन्दी प्रतिवादी क्रम 1 शान्तीलाल पुत्र कन्हैयालाल के खाते दर्ज है वादीगण क्रम 1,2,3 तथा प्रतिवादी क्रम 2 उनके चार पुत्र है तथा प्रतिवादी क्रम 3,4,5 पुत्रियां है व प्रतिवादी क्रम 6 पत्नी है उक्त आराजियात् पुश्तैनी है जो वादीगण के दादाजी कन्हैयालाल जी से पिता शान्तीलाल जी को विरासत मे प्राप्त हुई है। प्रतिवादी क्रम 2 लीलाधर को पुश्तैनी जायदाद की आमदनी से पृथक से ख0न0 252/2 रकबा 35 बीघा एवं ख0न0 411/2 रकबा 7.16 बीघा इस प्रकार कुल भूमि 42.16 बीघा प्राप्त हो चुकी है। इस कारण प्रतिवादी क्रम 2 पुश्तैनी आराजियात् मे हिस्सा नही लेना चाहते। इसी प्रकार वादी क्रम 1 नरेन्द्र कुमार के खाते ख0नं0 407 की 6 बीघा 11 बिस्वा एवं वादी क्रम 2 देवेन्द्र के अपने ख0न0 252/1 की 35 बीघा आराजी पृथक से जर्ये रजिस्ट्री खरीद कर खाते दर्ज करा दी गई है। अब विवादित पुश्तैनी आराजियात् मे वादीगण आपसी सहमति बंटवारे से काबिज चले आ रहे है।

इस कारण वादी क्रम 1 नरेन्द्र प्रकाश के अपने आराजी ख0न0 508 रकबा 1.05 बीघा एवं ख0न0 ख0न0 495 का कुल रकबा 67.16 बीघा मे से हिस्सा 1/2 33.18 बीघा (ख0न0 508 से लगवा) इस प्रकार कुल 35.03 बीघा एवं वादी क्रम 2 देवेन्द्र कुमार के हक मे ख0न0408/4.03 बीघा, ख0नं0 409/0.01, ख0नं0 410/0.01, ख0नं0 411/1/019, ख0नं0 843/0.02, ख0नं0 862/0.01, ख0नं0 964/4.14 कुल किता 7 कुल रकबा 10.01 बीघा एवं वादी क्रम 3 सुधीन्द्र कुमार के अपने ख0 नं0 494 रकबा 0.05 बीघा ख0न0 495 रकबा 67.16 मे से हिस्सा 1/2 रकबा 33.18 बीघा (ख0न0 494 से लगवां) इस प्रकार कुल किता 2 कुल रकबा 34.03 बीघा का खातेदार घोषित किया जाकर पृथक–पृथक बंटवारा किया जाकर पृथक पृथक खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। इसी प्रकार वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे तथा दावा डिक्री किया जावे।

वादीगण की तरफ से वाद प्रस्तुत कराते समय जर्ये वकील नोटिस धारा 80 सीपीसी दिनांक 05.03.2019 को दिलाया गया था जो ex-p-1 है वादपत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी खाता संख्या नई 451 पुरानी 436 रकबा 79.07 बीघा exp-2 है। खाता जमाबन्दी संख्या नई 442 पुरानी 428 रकबा 35 बीघा ex-p3 है खाता संख्या नई 443 पुरानी 429 रकबा 7.16 बीघा exp-4 है। खाता संख्या नई 215 पुरानी 199 रकबा 6.11 exp-5 है। खाता नई 182 पुरानी 172 रकबा 35 बीघा exp-6 है। इसी मुताबिक दावा स्वीकार फरमाया जावे।

वादी अधि0 और साक्ष्य पेश नही करना चाहते वादी अधि0 की साक्ष्यवादी समाप्त की जाती है। प्रतिवादी अधि0 ने साक्ष्य प्रतिवादी मे dw-1 शान्तीलाल, dw-2 लीलाधर के बयान लेखबद्व करवाये दौराने बयान dw-1 शान्तीलाल ने जाहिर किया कि मेरे खाते मे ग्राम मे कुल किता 10 रकबा 79.07 बीघा आराजी ख0न0नई 451 पुरानी 436 मुताबिक खाता जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 मे खाते दर्ज है। उक्त आराजियात् पुश्तैनी है जो मुझे मेरे स्वर्गीय पिता कन्हैयालाल से जर्ये विरासतन प्राप्त हुई है। मेरे द्वारा पुश्तेनी आराजियात् एवं अन्य आमदनी से मेरे बडे पुत्र लीलाधर के खाते मे जर्ये रजिस्ट्री खरीद कर ख0न0 252/2 रकबा 35 बीघा व ख0न0 411/2 रकबा 7.16 बीघा खाते दर्ज करवा दी थी इसी प्रकार ख0न0 407 रकबा 6.11 बीघा दूसरे नं0 नरेन्द्र प्रकाश के खाते दर्ज करवा दी थी तीसरे पुत्र देवेन्द्र कुमार के 252/1 की 35 बीघा आराजी पृथक से खाते दर्ज करा दी थी। मेने मेरी तीनो पुत्रियों का विवाह कर दिया है जो अपने परिवार मे सुखी जीवन यापन कर रहे है। इस कारण तीनो पुत्रियां पुश्तैनी आराजी मे हिस्सा नही लेना चाहती है। मै व मेरी पत्नी भी कृषि भूमि हमारे खाते दर्ज नही रखना चाहते है तथा वादीगण तीनो पुत्रों मे मुताबिक हिस्सा खाते दर्ज करना चाहता हूॅ। मैने मेरी उक्त खाते की भूमि मे नरेन्द्र प्रकाश को 35.03 बीघा व देवेन्द्र कुमार को 10.01 बीघा व सुधीन्द्र को 34.03 बीघा आराजी गत तीस चालीस वर्षो पूर्व से ही बंटवारा करने दे रखी है। जो काबिज चले आ रहे है। मेरे चारो पुत्रों मे प्रेम व्यवहार है कोई विवाद नही है अतः वादीगण का दावा स्वीकार करे डिक्री किया जावे इसमे मुझे कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी अधि0 और साक्ष्य पेश नही

करना चाहते प्रतिवादी अधि0 की साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की जाती है। उभय पक्ष की बहस सूनी गई दौराने बहस वादी अधि0 ने वाद पत्र मे अंकित बिन्दूओं को दोहराया और प्रतिवादी अधि0 ने अपने जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराया । उभयपक्ष ने निवेदन किया विवादित आराजी पैतृक है मौके पर बंटवारा किया हुआ है। अतः खातेदार घोषित किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी कि जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर0टी0ए0 स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि वाकेग्राम जलवाडा पटवार हल्का जलवाडा की आराजी ख0सं0 नई नई 451 पुराना 436 जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 स्थित है। जिसे वाद पत्र मे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

क्र0सं0	ख0न0	रकबा	किस्म	लगान
11.	408	4.03	चाही—2	11.21
12.	409	0.01	गै0मु0चाह	—
13.	410	0.01	गै0मु0चाह	—
14.	411/1	0.19	चाही—2	2.57
15.	494	0.05	गै0मु0चाह	—
16.	495	67.16	बा0सोयम	81.36
17.	508	1.05	बा0—2	0.75
18.	843	0.02	खेडा—2	0.14
19.	862	0.01	खेडा—2	0.07
20.	964	4.14	चा0—2	12.69

कुल किता 10 कुल रकबा 79.07 बीघा मे से वादी क्रम 1 नरेन्द्र प्रकाश को ख0न0 508 रकबा 1.05 बीघा ख0न0 495 रकबा 67.16 बीघा मे से हिस्सा 1/2 (ख0 न0 508 रकबा 33.18, से लगा हुआ कुल किता 2 कुल आराजी 35.03 बीघा एवं वादी क्रम 2 देवेन्द्र कुमार को आराजी ख0न0 408 रकबा 4.03 बीघा, ख0न0 409 रकबा 0.01 बीघा, ख0न0 410 रकबा 0.01 बीघा, ख0न0 411/1 रकबा 0.19 बीघा, ख0न0 843 रकबा 0.02 बीघा, ख0न0 862 रकबा 0.01 बीघा, ख0न0 964 रकबा 4.14 बीघा कुल किता 7 कुल रकबा 10.01 बीघा एवं वादी क्रम 3 सुधीन्द्र कुमार को ख0न0 494 रकबा 0.05 बीघा, ख0न0 495 रकबा 67.16 बीघा मे से हिस्सा 1/2 रकबा 33.18 (ख0न0 494 से लगा हुआ) कुल रकबा 34.03 बीघा पर खातेदार घोषित किया जाता है। पृथक से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2019.11.04 13:36:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: